समाहरणालय, हजारीबाग (उत्पाद शाखा)

बन्दोबस्ती सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में बंदोबस्ती की तिथि से दिनांक 31.07.2017 तक की अवधि के लिए इस कार्यालय के पत्रांक 283 दिनांक 11.04.2017 के द्वारा दिनांक 18.04.2017 को सम्पन्न बंदोबस्ती में 01 विदेशी शराब दुकान की बंदोबस्ती के फलस्वरूप **हजारीबाग** जिला में शेष **04 (चार)** देशी शराब, **05 (पॉच)** विदेशी शराब तथा **08 (आठ)** कम्पोजिट दुकान **कुल 17 (सतरह)** दुकानें / अनुज्ञप्तियॉ अबंदोबस्त रह गये है। अबंदोबस्त अनुज्ञप्तियों की पुनः बंदोबस्ती एकल दुकान के रूप में दिनांक **27.04.2017** को समय–**04.00 बजे अपराह्न** में निर्धारित फीस पर लॉटरी के माध्यम से योग्य आवेदकों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा समाहरणालय परिसर हजारीबाग जिला स्थित सभा कक्ष में की जायेगी।

उक्त बंदोबस्ती हेतु पात्रता, शर्ते एवं बंधेज वित्तीय वर्ष 2016–17 में खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक 161 दिनांक 08.02.2016 द्वारा निर्गत बिक्री अधिसूचना (उत्पाद प्रपत्र–127 'क') के अनुरूप होगी। अनुज्ञाशुल्क एवं कोटा का निर्धारण बंदोबस्ती की तिथि से की जायेगी।

बंदोबस्ती हेतु इच्छुक आवेदक उक्त बिक्री अधिसूचना में वर्णित सभी शर्तों के आबद्ध होकर निर्धारित आवेदन शुल्क एवं वांछित कागजात के साथ अपना आवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक 26.04.2017 तक सहायक आयुक्त उत्पाद कार्यालय, हजारीबाग में कार्यालय अवधि में समर्पित कर सकते है तथा ऑनलाईन आवेदन करने हेतु **jhr.nic.in/exciselottery** पर लॉगइन कर सकते है। ऑन लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक **25.04.2017** तथा ऑन लाईन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक **26.04.2017** निर्धारित की गई है।

आवेदन पत्र, शपथ पत्र का प्रारूप एवं बिक्री अधिसूचना का अवलोकन झारखंड सरकार के वेबाईट **www.jharkhand.gov.in** पर किया जा सकता है या अन्य कोई जानकारी हेतु सहायक आयुक्त उत्पाद, हजारीबाग के कार्यालय से कार्यअवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह०/ 19/4/17

उपायुक्त
हजारीबाग।

ज्ञापांक 216 **/उ0 हजारीबाग, दिनांक** 20/4/17

प्रतिलिपि–

1. आयुक्त उत्पाद, झारखंड, रॉची को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त उत्पाद (मुख्यालय), झारखंड, रॉची/उपायुक्त उत्पाद, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ।
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर/बरही /जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार प्रसारार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि उक्त बिक्री अधिसूचना को कार्यालय के सूचनापट्ट पर सर्वसधारण के जानकारी के लिए प्रदर्शित किया जाए।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (NIC) हजारीबाग को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/सभी अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार प्रसार हेतु प्रेशित।
7. जिले के सभी उत्पाद पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं निदेषित किया जाता है कि इस बिक्री अधिसूचना का वृहद प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक आवेदकों को आवेदन देने हेतु प्रोत्साहित करेंगे।
8. उपायुक्त के कार्यालय अधीक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं इस बिक्री अधिसूचना को कार्यालय सूचनापट्ट पर चिपकाने हेतु प्रेशित।

ह०/ 19/4/17

उपायुक्त
हजारीबाग।